International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue I, January-February 2018 Available online at: www.ijaur.com

आधुनिक समय में भारत की पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की स्थिति का अवलोकन एवं रोजगार

शंकर शम्भू सोनी
ग्रंथपाल शा. विधि महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)

सारांश – आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जहॉ हर देश विज्ञान एवं प्राद्यौगिक से लेकर व्यापार तक में अपनी तरक्की चाहता है, जिससे यह विकसित मजबूत शांतिपूर्वक रह सकें। इतिहास गवाह हैं कि जो देश विकसिता की इस दौड़ में पिछड़े हुये हैं। उन देशों में हमेशा आन्तरिक कलह, अव्यवस्था और गरीबी का दौर रहता हैं। इसीलिये दुनिया का लगभग हर देश चाहें वह विकसित हो या फिर विकासशील देश हो। सभी देशों में इस प्रतियोगिता की दौड में शामिल को होकर अपने आप को शीर्ष स्तर पर देखने की होड़ हैं, जिसके लिये उन्हें ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। दूसरे शब्दों में नोलेज इज द पावर की तर्ज पर हर देश चाहता हैं कि उसके देश के नागरिक, खासतौर से आने वाली पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा शिक्षित एवं प्रोफेशनल हो, जिससे वह भविष्य में देश की उन्नती में सहभागी बने। भारत में सरकार ने विभिन्न स्तर पर देशवासियों के लिये साक्षरता मिशन पर अपने प्रोग्राम चला रखें हैं। पुस्तकें किसी भी व्यक्ति अपने अध्ययन के लिये विभिन्न विषयों की बहुत सारी पुस्तकें किसी भी व्यक्ति की प्रथम मित्र होने के साथ ही साथ ज्ञान का भण्डार होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अध्ययन के लिये विभिन्न विषयों की बहुत सारी पुस्तकें एवं जनरलस नहीं खरीद सकता इसके लिये उसे आवश्यकता होती हैं लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेंशन सांइस सेन्टर्स की जहॉ बहुत सारा ज्ञान हार्डकॉपी एवं सोफटकॉपी के रूप में वैज्ञानिकी तरीके से व्यवस्थित रहता हैं। भारत एक विकासशील देश हैं, जिसके लिये छात्र एआईसीटीई एवं यूजीसी से सम्बद्ध प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेते है, किन्तु अच्छी लाइब्रेरी एवं लैब की सुविधा के अभाव में छात्रों को उनके विषय नीरस लगते हैं,जिनके परिणामस्वरूप उनकी डिग्री/ डिप्लोमा मात्र कागज की भूमिका निभाते है, जिससे उन्हें भविष्य में जॉब का अभाव रहता हैं। अगर आप विकसित और विकासशील देशों में अन्तर देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्तर आपके सामने आएगा कि विकसित देशों की सरकार लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस के महत्व को समझती हैं और उसे प्रायोगिक रूप से अपनाती हैं, जबकि अविकसित देशों में सरकार लाइब्रेरी एण्ड इनफोरमेशन साइंस के महत्व को मात्र औपचारिक रूप से समझती हैं साथ ही उन्हें लाइब्रेरी साइंस एण्ड इन्फोरमेशन साइंस की जन जागरूकता से कोई मतलब नहीं होता।

मुख्य शब्द –: सोफटकॉपी,लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेंशन सांइस

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय सूचना के युग में प्रस्तुत हो रहा हैं जिसमें अधिकाधिक कार्य सूचना प्राप्ति,सूचना के उपयोग एवं उसके संग्रहण से हैं। मनुष्य का अधिकारिक समय सूचना के उत्पादन एवं उसके उपयोग हेतु प्रयुक्त हो रहा है. वर्तमान में मनुष्य अपने जीवन का एक संपूर्ण हिस्सा शिक्षा के रूप में सूचना प्राप्ति एवं उपयोग हेतु व्यतीत करता है। सूचना मुख्यतः प्रलेख एवे अप्रलेख के रूप में उपयोग हेतु संग्रहित की जाती है जिसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार वर्तमान एवं भविष्य में प्रयोग किया जा सके। किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा हो रहे रिसर्च एवं अविष्कारों को उस देश की विकासिता का पैमाना माना गया हैं। साथ ही उस देश में इंजीनियर्स,डॉक्टर्स,वैज्ञानिक व अन्य प्रोफेशनल की संख्या का उस देश की जनता से एक अच्छा अनुपात भी उस देश को विकसित करने में सहायक होती है। देश की जनता का साक्षरता प्रतिशत हमारे देश में साक्षरता मिशन अभियान चला रही हैं, जिनमें जनता को साक्षर करने के लिये विभिन्न तरह की योजनाए, विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिससे कि देश में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार हो। इसके अलावा देश में निजी स्कूल/कॉलेज राज्य स्तर एवं केन्द्रिय स्तर पर सरकारी स्कूल/कॉलेज,विभिन्न रिसर्च संस्थाने एवं उच्च स्तरीय तकनीकी कॉलेज सरकार द्वारा संचालित हैं, जिन्हें संचालिय करने के लिये सरकार बहुत सी धनराशि का व्यय करती है। किसी भी तकनीकी/शैक्षिक/रिसर्च संस्थान को संचालित करने के लिये सबसे मुख्य भूमिका डाटा/सूचना की होती है। बिना डाटा/सूचना के किसी भी तकनीकी/शैक्षिक/रिसर्च संस्थान को चलाना असम्भव कार्य होता है। इसके लिये संस्थानों को अपने संस्थान में डाटा/सूचना बैंक/लाइब्रेरी संचालित करना होता हैं, जिससे रिसर्च व तकनीकी के लिये डाटा कलैक्शन एवं तकनीकी/शैक्षिक/रिसर्च के लिये सूचना को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर उसे उपभोग में लाया जा सकें। उपरोक्त सूचना को वर्तमान एवं भविष्य में प्रयोग हेतु प्रलेख एवं अप्रलेख के रूप में पुस्तकालय में संग्रहित किया जाता है जिससे प्रलेख का संग्रहण उनका अधिकारिक प्रयोग एवं भविष्य में उपयोग हेतु संरक्षण किया जा सके पुस्तकालय एक समाजिक एवं प्रमुख सूचना संस्थान हैं।

आधुनिक परिदृश्य–

वर्तमान में 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हैं, जिससे जन–जन में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार हो। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में जहॉ इन

राज्यों में एक तरफ से पुस्तकालय एक्ट लागू तो हैं। परन्तु कई राज्यों में पूस्तकालय एक्ट कार्यरत नहीं होने के बावजूद भी वहॉ पुस्तकालय एक्ट कार्यरत नही है उत्तर प्रदेश इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। भारत में बहुत सही तकनीकी/शैक्षिक रिसर्च एवं अन्य संस्थाओं में तो लाइब्रेरी नाममात्र की संचालित है। किसी संस्थान में लाइब्रेरी स्टॉफ की कमी हैं तो किसी संस्थान में लाइब्रेरी पुस्तकों की कमी से जूझ रही हैं। भारत में केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं जवाहर नवोदय विद्यालय समेत कई संस्थान तो ऐसे है जहॉ लाइब्रेरियन वन मैन आर्मी की तरह काम करता हैं इसके साथ ही यूजीसी एवं एआईसीटीई से सम्बद्ध अधिकतर चरमराई हुई रहती हैं। आज बदलते समय में लाइब्रेरी सांइस में नवीनतम टैकनोलाजी का प्रवेश हुआ है लेकिन लगभग सभी लाइब्रेरी चाहे वह सरकारी गैर सरकारी राज्य सरकार, केन्द्रिय सरकार,पब्लिक लाइब्रेरी या प्राइवेट लाइब्रेरी हो लगभग सभी लाइब्रेरी आधुनिक प्राद्यौगिकी पाठ्य सामग्री एवं लाइब्रेरी स्टॉफ की कमी से अछूती हैं।

उपरोक्त सभी समस्याओं के साथ कैसे भारतवर्ष में साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चल सकता है। क्योंकि बिना लाइब्रेरी के हम शिक्षा की तो कल्पना भी नहीं कर सकते और शायद यही कारण है कि किसी भी अच्छी शैक्षिक संस्थान में नींव का पहला पत्थर लाइब्रेरी का ही होता हैं,किन्तु भारत के लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन में लाइब्रेरी मात्र लाइब्रेरी की औपचारिकता निभाती हैं। शायद यही कारण है कि भारत में जिन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट ईमानदारी पूर्वक लागू है वहॉ की जनता उन राज्यों की तुलना में अधिक साक्षर हैं, जिन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू नही है या कार्यरत नहीं हैं।

आदर्श लाइब्रेरी की परिभाषा–

लेखन के अनुसार आदर्श लाइब्रेरी किसी भी संस्थान का लाइब्रेरी परिसर जो कि लाइब्रेरी के निश्चित मानक पूरा करती हो जैसे बड़े एवं पर्याप्त भवन वाली लाइब्रेरी में पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त संख्या से अधिक पुस्तके जनरलस अखबार एवं अन्य पाठ्य सामग्री जो सोफट या हार्ड कॉपी के रूप में वैज्ञानिकी तरीके से पाठकों के उपयोगार्थ हेतु व्यवस्थित होने के साथ–साथ उचित संख्या में प्रोफेशनल/सेमीप्रोफेशनल एवं नॉन प्रोफेशनल लाइब्रेरी स्टॉफ जिसका वेतन यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मानकानुसार हो साथ ही लाइब्रेरी स्टॉफ की संख्या लाइब्रेरी में रखी पाठ्य सामग्री के अनुपात में या अनुपात से अधिक होनी चाहिए। लाइब्रेरी का संचालन,रखरखाव अत्याधुनिक एवं नवीनतम प्रौद्योगिक से प्रेरित होनी चाहिए, जिससे लाइब्रेरी डज्ञ0एस0आर0 रंगानाथन के पॉच सूत्रों का पालन कर सके।

शोध समंक संग्रहण की प्रविधिः–

प्रस्तुत शोध में आंकड़ों को एकत्रित करने के निम्न विधियों का उपयोग किया गया हैं।

- इंटरनेट पर उपलब्ध समंक के विश्लेषण के द्वारा।

भारत में लाइब्रेरी सांइस की आवश्यकता एवं आवश्यकता के स्तर–

- भारत में 29 राज्यों में सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर बेसिक/प्राइमिरी स्कूल स्थापित है, जिनके लिये निश्चित मानकानुसार लाइब्रेरी एवं सम्बधित के साथ पर्याप्त स्टॉफ की आवश्यकता होनी चाहिए।
- भारत में 29 राज्यों के अलग–अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा केद्रिय स्तर के भी शिक्षा बोर्ड स्थापित हैं,जिनसे बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर स्कूल/कॉलेज की सबद्धता हैं. जिनमें प्रत्येक स्कूल/कॉलेज में निश्चित मानकानुसार लाइब्रेरी के साथ सम्बन्धित एवं पर्याप्त स्टॉफ की आवश्यकता होनी चाहिए।
- भारत में यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सम्बद्ध सरकारी,डीम्ड एवं निजी स्तर पर यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज स्थापित हैं, जिनके लिये निश्चित मानकानुसार लाइब्रेरी के साथ सम्बधित एवं पर्याप्त स्टॉफ की आवश्यकता होनी चाहिए।
- भारत की अधिकतर यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज जहॉ लाइब्रेरी से सम्बधित कोर्सेस चल रहे हैं वहॉ पर्याप्त टीचिंग स्टाफ एवं कक्षा हेतु भवन एवं निश्चित मानकानुसार लाइब्रेरी के साथ सम्बधित एवं पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारत के सभी रिसर्च सेन्टरी पर उच्च स्तरीय लाइब्रेरी के साथ सम्बधित एवं पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता होनी चाहिए।
- भारत में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से युक्त पब्लिक लाइब्रेरी जन–जन की पहुॅच में होनी चाहिए एवं पब्लिक लाइब्रेरी से सम्बधित स्टाफ की भी आवश्यकता होनी चाहिए।
- लइब्रेरी एक्ट देश के लगभग आधे राज्यों में पारित हैं एवं जिन राज्यों में कार्यरत नहीं हैं। लाइब्रेरी एक्ट को स्टेटवाइज पारित होने की बजाए केन्द्रिकृत पारित होने के साथ लागू भी होना चाहिए, जिससे कि सम्पूर्ण देश में लाइब्रेरी का समान प्रसार हो।
- लइब्रेरी स्टाफ की योग्यता एवं वेतनमान को यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा उनसे सम्बधित सभी सरकारी एवं निजी कॉलेजो संस्थानों एवं विश्वविद्यालय पर सख्ती से लागू करना चाहिए.जिससे मानवीय शोषण की सम्भावना नहीं हों।
- चुॅकि लाइब्रेरी का जन्म किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ होता हैं, इसलिये यह निश्चित है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ–साथ लाइब्रेरी अवश्य चलेगी की तर्ज पर लाइब्रेरी में किसी भी स्टाफ को अनुबन्ध अथवा संविदा पर नियुक्ति देने की बजाए उसे स्थायी नियुक्ति देनी चाहिए. जिससे कि भविष्य में लाइब्रेरी के दैनिक कार्य में बाधा ना हो।

भविष्य में लाइब्रेरी सांइस के क्षेत्र में सम्भावनाऍं–

रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस–: लाइब्रेरी एण्ड इनफोरमेशन साइंस की भविष्य में अधिक सम्भावना का पता लाइब्रेरी सांइस पर हो रही रिसर्च से चलता हैं। हम लाइब्रेरी सांइस से सम्बधित रिसर्च का वर्गीकरण निम्न तीन प्रकार से कर सकते हैं।

रिसर्च फोर अदर सब्जैक्ट टू लाइब्रेरी –: अन्य विषयों के द्वारा लाइब्रेरी सांइस की प्रगति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हैं जिसका ज्वलंत उदाहरण लाइब्रेरी सांइस को इनफोमेशन टैक्नोलोजी के साथ जोड़ना है। इसी के फलस्वरूप आज डिजीटल लाइब्रेरी कम्प्यूटराइज्ड लाइब्रेरी लाइब्रेरी नेटवर्क के अलावा ओपेक बारकोड जैसी अत्याधुनिक तकनीके हमारे सामने हैं।

रिसर्च फोर लाइब्रेरी टू अदर सब्जैक्ट–: लाइब्रेरी सांइस का क्षेत्र भविष्य में बहुत उन्नत साइंस एवं विस्तृत हैं,लाइब्रेरी सांइस के क्षेत्र में भविष्य में ऐसी बहुत सी रिसर्च बाकी है जिससे मानव जीवन बहुत सुगम हो जायेगा उदाहरणतः अभी हाल में लाइब्रेरी सांइस पर आधारित एवं पब्लिश पेपर

ए ड्रीम ऑफ फयूचर करन्सी–: ए प्रिंसपल ऑफ लाइब्रेरी सांइस मे लाइब्रेरी साइंस में डा0 एस0आर. रंगनाथन द्वारा दिये गये फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांतों के साथ कॉलन क्लासीफिकेशन को लेकर ड्रीम करन्सी की अभिकल्पना की, यह शायद लाइब्रेरी साइंस का ऐसा पहला पेपर होगा,जिसमें लाइब्रेरी साइंस ने अर्थशास्त्र सूचना प्रौद्योगिकी के साथ–साथ इलैट्रोनिकी एण्ड कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। यह पेपर तो मात्र एक उदाहरण है लाइब्रेरी साइंस एवं डा0 एस0आर0 रंगनाथन के द्वारा दिये गये सिद्धांतों का अगर सही प्रकार से संशोधन किया जाये तो अधिकाधिक रिसर्च निकल कर आयेगा जो कि भविष्य में उपयोगार्थ होगा।

रिसर्च फोर लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी–:लाइब्रेरी साइंस की उन्नति के लिये लाइब्रेरी अत्याधुनिक रूप मं डा0 एस0आर0 रंगनाथन के पॉच मूलभूत सिद्वांतों का अनुपालन करें जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम, सन्दर्भ, सेवा सरकुलेशन सिस्टम या फिर कैटलॉग सिस्टम को विकसित करना आदि।

प्राद्यौगिकी–: लाइब्रेरी साइंस पर रिसर्च के फलस्वरूप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में नई–नई टैक्नालॉजी का उपयोग भी लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस के क्षेत्र में किया जा रहा है। जिनमें आर0एफ0आई0डी0 का लाइब्रेरी में उपयोग ओपेक डिजीटल लाइब्रेरी कम्प्यूटराजड लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बार कोड का अनुप्रयोग जो की लाइब्रेरी के उपयोग को सरल बनाता है।

रोजगार–: लाइब्रेरी क्षेत्र से बहुत से प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल एवं नॉन प्रोफेशनल वर्कर जुडे हुये है एव भविष्य में लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेंशन सांइस क्षेत्र के बढने के साथ साथ हजारों प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल एवं नॉन प्रोफेशनल वर्करों की आवश्यकता बढने की सम्भावनाऍं है। रोजगार की दृष्टि से लाइब्रेरी शिक्षा जगत में उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें हजारों कर्मचारियों को रोजगार मिलने की सम्भावनाऍं है। एक व्यवसाय के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता (लाइब्रेरियनशिप) रोजगार के विविध अवसर प्रदान करती हैं।पुस्तकालय तथा सूचना–विज्ञान में आज कैरियर की अनेक संभावनाएं हैं। अर्हताप्राप्त लोगों को विभिन्न पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में रोजगार दिया जाता हैं। प्रशिक्षित पुस्तकालय व्यक्ति अध्यापक तथा लाइब्रेरियन दोनो रूप में रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। वास्तव में,अपनी रूचि तथा पृष्ठभूमि के अनुरूप पुस्तकालय की प्रकृति चयन करना संभव हैं। लाइब्रेरियनशिप में पदनाम पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) प्रलेखन अधिकारी,सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष,वैज्ञानिक (पुस्तकालय विज्ञान/प्रलेखन) पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी,ज्ञान प्रबंधक/अधिकारी सूचना कार्यपालक,निदेशक/सूचना सेवा अध्यक्ष,सूचना अधिकारी तथा सूचना विश्लेषक हो सकते हैं।

- ❖ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में, केन्द्रीय सरकारी पुस्तकालयों में, बैंको के प्रशिक्षण केन्द्रों में, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा अभिलेखागारों में, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों में।
- ❖ आई.सी.ए.आर.सी.एस.आई.आ.डी.ओ.आई.सी.एस.एस.आर. आई.सी.एच.आर.आई.सी.एम.आर.आई.सी.एफ.आर.ई. आदि जैसे अनुसंधान तथा विकास केंद्रों में, विदेशी दूतावासों तथा उच्चायोगों में।
- ❖ विश्व स्वास्थ्य संगठन,यूनेस्को,संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में
- ❖ मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी विभागों के पुस्तकालयों में,
- ❖ राष्ट्रीय स्तर के प्रलेखन केंद्रों में, पुस्तकालय नेटवर्क में, न्यूज चैनल्स में, रेडियो स्टेशन के पुस्तकालयों में
- ❖ पुस्तकालयों का सांस्थानिक ढांचा नेटवर्किंग
- ❖ शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्युटरीकरण
- ❖ निजी तथा व्यक्तिगत संकलनों का रख–रखाव और बदल रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाफ की आवश्यकताएं इस तरह पुस्तकालयाध्यक्षता(लाइब्रेरियन शिप) के अवसर उज्जवल है। पुस्तकालय एवं सूचना–विज्ञान (एलआईएस) में कैरियर बहु–आयामी,उज्जवलशील है और समृद्धि तथा प्रगति के समाज के ज्ञान आधार को समृद्ध करने वाला हैं।

लाइब्रेरी क्षेत्र विकसित करने का दायित्व निर्धारण शिक्षा संस्थानों का दायित्व–: किसी भी सरकारी एवं निजी शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान का पहला कर्तव्य होता है। िकवह अपने संस्थान से जुडे प्रत्येक संकाय एवं छात्रों को मानाकानुसार लाइब्रेरी उपलब्ध कराये, क्योंकि संस्थान की

संकाय बिना लाइब्रेरी के छात्र में स्वतः अध्ययन की रूचि समाप्त हो जाती है। जिससे भविष्य में उपरोक्त संस्थान का शिक्षा स्तर गिर जाता है। कोई भी छात्र यह नही चाहेगा कि वह किसी गिरे हुये शिक्षा स्तर वाले संस्थान में अधिक फीस देकर प्रवेश लें। निश्चित ही मानकानुसार लाइब्रेरी छात्रों का अधिकार है।

सरकार का दायित्व–: सरकार को पब्लिक लाइब्रेरी लॉ का केन्द्रीकरण करने के साथ ही इस लॉ को तत्काल पालन करवाना चाहिए। साथ ही सरकार को चाहिए कि प्राइमरी से सीनियर सैकेण्ड्री वाले स्कूल/ कॉलेज के साथ– साथ सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा वाले कॉलेजों व सभी रिसर्च केन्द्रो सभी में जहॉ लाइब्रेरी स्थापित नही हुई है। पूर्ण रू‍प से कार्यरत नही हैं वहॉ लाइब्रेरी स्थापित करवाये/लाइब्रेरी को कार्यरत करने के साथ अगर लाइब्रेरी में स्टॉफ की आवश्यकता है। तो लाइब्रेरी सम्बन्धित स्टाफ रखवाये।

यूजीसी एवं एआईसीटीई का दायित्व–: यूजीसी एवं एआईसीटीई को अपने सम्बद्वता वाले सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों एवं संस्थानों के लिये लाइब्रेरी से सम्बन्धित नियमों जैसे पुस्तके भवन, स्टाफ एवं उनका वेतन को मानकतानुसार लागू करना चाहिएं। यदि लाइब्रेरी से सम्बन्धित नियम बने हुये है तो उनका सख्ती पूर्वक सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों एवं संस्थानों में उनका अनुपालन करवाना चाहिए,जिससे की महाविद्यालयों के अनुरूप शिक्षा स्तर बना रहे।
नगरिकों का दायित्व–: अगर भारतवर्ष के नागरिक लाइब्रेरी से सम्बधित अपने अधिकारों के लिये जागरूक होगे तो भविष्य में अपने अपने परिवार एवं अपने समाज के लिये उन्हें एक विकसित वातावरण मिलेगा,जिससे देश की प्रगति दर बढ़ेगी।

उपसंहार–:
वर्तमान समय में पुस्तकालय शिक्षण संस्थान का अभिन्न अंग है पुस्तकालय के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने शिष्य की नवीन एवं अधिकांधिक सूचना प्राप्त कर सकता हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में पुस्तकालय के उपयोगिता के वृद्धि हुई हैं जिसमें डिजिटल पुस्तकालय एवं डाटा केन्द्र के रूप में पुस्तकालय के शिक्षण सामाग्री का प्रयोग अधिकारिक रूप से पूर्ण हुआ है। वर्तमान में भारत सरकार एवं भारत के अधिकतर राज्यों की सरकार लाइब्रेरी के प्रति उपेक्षित व्यवहार रखती हैं, जो कि हमारे देश के विकास की गति को धीमा करने के लिये पर्याप्त हैं। अगर भारत सरकार लाइब्रेरी के महत्व को स्वीकार करने के साथ लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साइंस के प्रति दिशात्मक कार्य करें तो आने वाला समय देश की प्रगति का होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

01- महेन्द्रनाथ 1998 पुस्तकालय और समाज,जयपुर पोइन्टर पब्लिशर्स।
02- शर्मा पाण्डेय एस0 के0 1998 पुस्तकालय एवं समाज नई दिल्ली ग्रथ अकादमी।
03- सैनी,ओमप्रकाश 1999 ग्रंथालय एवं समाज आगरा बाई. के. पब्लिशर्स।
04- झा कुन्दन 2012 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम एक अध्ययन बिलासपुर शा. जमुना प्रसाद वर्मा स्नातो.महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़।
05- झा कुन्दन 2014 पुस्तकालय सूचना संप्रेशण का माध्यम शा.नार्गाजुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।
06- Public library revitalization in india: Hopes, challenges and new vision by Ajit K.pyati. On First Monday peer- Reviewed journal on the internet.
07- Libarary and Information technology position of India in modern time ISSN NO.: 2321-290X SHRINKHLA : VOL-1 * ISSUE-4*DECEMBER-2013.
08- A Dream of Future Currency: A Principal of Library Science on Periodic Research ISSN No. 2231-0045 VOL .I*ISSUCE –IV MAY -2013 Author: KAMAL GULATI
09- Daily Newspaper Amar Ujala, Agara Dated:21 Oct2012
10- Daily Newspaper Hindustan ,Agara Dated 29 Oct 2012
11- WWW. Timesjobs.com
12- WWW. Shine.com
13- WWW. Sarkarinakriblog.com